



2026:AHC:42046-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3583/2026

शोभनाथ मोर्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (अधिवक्ता): अरुण कुमार यादव, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव के सहयोगी अधिवक्ता श्री विवेक कुमार मिश्रा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता), राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और बेहतर विवरण के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति नियमानुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।